न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, अररिया।

S.T. Case No- 70/2019
C.I.S. N0- 70/2019

Araria Mahila P.S. Case no- 70/2018

सरकार बनाम

मो0 हलीम

आदेश

08.01.2024 एकमात्र अभियुक्त मो0 हलीम अनुपस्थित है। अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त की उपस्थित हेतु न्यायालय द्वारा गैरजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है। दिनांक–14.11.2022 को प्रोसेस 82 तथा दिनांक– 31.03.2023 को प्रोसेस 83 C.r.p.c. निर्गत हो चुका है। उक्त अभियुक्त की उपस्थिति हेतु पुलिस अधीक्षक, अररिया को पत्र सं0 229/2023 दिनांक–21.08.2023 निर्गत किया जा चुका है। परन्तु अभियुक्त आज तक न्यायालय में न तो उपस्थित हुए हैं और न ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वाद वर्ष 2019 का पुराना है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की उपस्थिति निकट भविष्य में सम्भव नहीं लगता है।

अतः उक्त अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय अभियुक्त का नाम फरार पंजी में दर्ज करें एवं स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा अभिलेख विधितः अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

Manjeet

ADJ-I

Parm
warr
dt-
on